संख्या 57 / XII / 2012 / 86(10) / 2005 टी0सी0–।

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 15 जून, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के क्षेत्र पंचायत विकास निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–489 / XXi / 2005 / 86(10) / 2005 दिनांक 13 जून, 2005, 895 / XXi / 2010 / 86(10) / 2005 टी0सी0–।। दिनांक 23 नवम्बर 2010 एवं 2027 / XXi / 2011 / 86 10) / 2005 टी0सी0–।।। दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु प्रति वर्ष रू. 35 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत के लिये "क्षेत्र पंचायत निधि" का प्राविधान किया गया है। जिसे प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर की जा रही वृद्धि की मॉग के दृष्टिगत रू. 5.00 लाख प्रति क्षेत्र पंचायत बढाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक की अवधि हेतु स्वीकृत लेखानुदान के आय–व्ययक में विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु ~~क्षेत्र निधि हेतु~~ प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू. 400.00 लाख (रू. चार करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाएगा।

3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

4. बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका,स्टोर परचेज रुल्स,डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेन्डर / कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–आयोजनागत –07–00– आयोजनागत–07–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–00–42–अन्य व्यय से रुपये 3,16,67,000/– अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101– पंचायतीराज–आयोजनागत–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट–0201–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–00–42–अन्य व्यय से रुपये 63,33,000/– तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–796–आयोजनागत–03–विकास खंडों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय से रुपये 20,00,000/– की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

6. विभागाध्यक्ष स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–19(P)/XXVII(4)/2012 दिनांक 11 जून, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्य (1)/XII/12/86(10)/2005टी.सी–। तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
4 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव ।